न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण पत्र

(अन्य विकल्प प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र अशोकनगर के कक्ष क्रं. RF 57, 58, 59, 60, 63, 64, 69, 68, 67, 65, 66, PF 196 एवं RF 108,101 एवं 114 (कुल रकवा 694.58 हे.) एवं वन परिक्षेत्र शिवपुरी के कक्ष क्रं. RF 368] PF 1151 एवं RF 349, 351, 354 एवं 1152 (कुल रकवा 273.66 हे.) है । इस प्रकार सम्पूर्ण वन क्षेत्र 968.24 हे. वन भूमि का चयन किया गया है ।

उक्त चयनित स्थल लोअर ओर वृहद् सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु उपयुक्त है तथा इसमें बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र में कुल 968.24 हे. वन भूमि आ रही है ।

लोअर ओर वृहद् सिंचाई परियोजना के निर्माण में शिवपुरी एवं अशोकनगर जिले में 67570 हे. क्षेत्र भूमि सिंचित हो जाएगी जिससे 142 ग्रामों के कृषक लाभांवित होंगे ।

उक्त चयनित बांध स्थल के अतिरिक्त कोई अन्य स्थल उपयुक्त नहीं है, जहां बॉध निर्माण से 45047 हे. भूमि की सिंचाई हो सके एवं 968.24 हे. वन भूमि से कम वन भूमि डूब में आए ।

अतः उक्त चयनित भूमि लोअर ओर वृहद् सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु उपयुक्त है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है । लोअर ओर वृहद् सिंचाई परियोजना में वन विभाग का कम से कम क्षेत्र लिया गया है जो कि 968.24 हे. है ।

अपेक्षित लोअर ओर वृहद् सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि की मांग न्यूनतम है ।

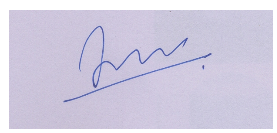

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मंडल,
अशोकनगर/शिवपुरी

अधिशासी अभियंता
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
भोपाल

<u>लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना वन प्रकरण प्रस्ताव बाबत् संक्षिप्त टीप</u>

लोअर ओर वृहद जलाशय योजना एक वृहद सिंचाई परियोजना है एवं योजना अक्षांश 78^0 – 5′–55′′ एवं देशांस 23^0 – 29′– 00′′ टोपोशीट क्रं. 54 एल/1 पर ओर नदी पर स्थित है । बांध स्थल शिवपुरी एवं अशोकनगर जिलों की सीमा रेखा पर स्थित है एवं चंदेरी तहसील से 21 कि.मी. की दूरी पर है । बांध का जल ग्रहण क्षेत्र 1843 वर्ग कि.मी. है । येाजना का कुल डूब क्षेत्र 2723.70 हे. है । जिसमें से 968.243 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है । योजना से 45047 हे. क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है ।

<u>व्यवस्थापन प्लान</u>

प्रमाणित किया जाता है कि लोअर ओर वृहद परियोजना के निर्माण से शिवपुरी जिले का नरोनी गॉव एवं अशोकनगर जिले का पगरा, पहाडपुर, लिधौरा, मुंजापरा, बिठाला, दव्यनगर, किराया, गांव (कुल 7) पूरे डूब क्षेत्र में आवेंगे एवं अशोकनगर जिले के गांव डंगा बैरसिया, गडरिया कोंडर, बूढी चंदेरी एवं शिवपुरी जिले के लखारी एवं लोहागढ गांवों (कुल 5) की भूमि डूब में आवेगी, इस प्रकार कुल 12 गांव इस परियोजना से प्रभावित होंगे ।

व्यवस्थापन प्लान संलग्न किया जा रहा है ।

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मंडल,
अशोकनगर/शिवपुरी

अधिशासी अभियंता
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
भोपाल

<u>ऐतिहासिक स्थल न होने का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि लोअर ओर वृहद परियोजना के निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई भी ऐतिहासिक महत्व का भवन अथवा स्थल स्थापित नहीं है ।

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मंडल,
अशोकनगर / शिवपुरी

अधिशासी अभियंता
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
भोपाल

<u>केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान</u>

प्रमाणित किया जाता है कि लोअर ओर वृहद परियोजना से प्रभावित भूमि का केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान बना कर संलग्न किया जा रहा है ।

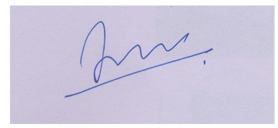

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मंडल,
अशोकनगर/शिवपुरी

अधिशासी अभियंता
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
भोपाल

<u>रिक्लेमेशन प्लान एवं अतिरिक्त देय राशि वचन पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि लोअर ओर वृहद परियोजना के निर्माण से प्रभावित वन भूमि के रिक्लेमेशन प्लान के अंतर्गत वन विभाग जो भी राशी तय करेगा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण देने को वचनबद्ध है ।

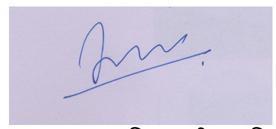

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मंडल,
अशोकनगर/शिवपुरी

अधिशासी अभियंता
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
भोपाल

<u>प्रभावित वन भूमि का नेटप्रजेन्ट वेल्यू भुगतान हेतु प्रमाण पत्र</u>

लोअर ओर वृहद् परियोजना के डूब में आई वन भूमि के बदले वन विभाग के द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू की जो भी राशि तय की जावेगी वह राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण भुगतान करने एवं समस्त शर्तों को मानने के लिए वचनबद्ध है। साथ ही भविष्य में एन.पी.व्ही. की दरे पुनरीक्षित होती है, तो पुनरीक्षित दरों के अनुसार अतिरिक्त राशि देने के लिए वचनबद्ध है।

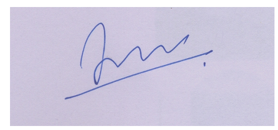

अधिशासी अभियंता
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
भोपाल

<u>वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि का वचन पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि लोअर ओर वृहद् सिंचाई परियोजना के डूब में आई वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग जो भी राशी तय करेगा, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण उस राशि को देने के लिए वचनबद्ध है।

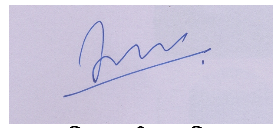

अधिशासी अभियंता
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
भोपाल

यदि आवेदित क्षेत्र का पूर्व में सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण अध्ययन किया गया हैं तो उसका प्रतिवेदन

लोअर ओर वृहद् सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण कार्य टोपोशीट क्र. 54 ₹/1 के आधार पर अध्ययन किया गया है।

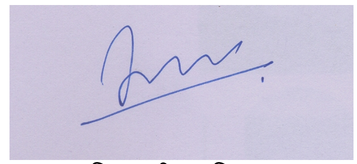

अधिशासी अभियंता
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
भोपाल

<u>पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस प्रमाण पत्र</u>

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, भारत सरकार, वन मंडल अशोक नगर के वन खण्ड RF 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 69, 68, 67, 65, 66 PF 196 तथा RF 108, 101, 114 एव वन मंडल शिवपुरी के वन खण्ड RF 1150 PF 1151 , RF 349, 351, 354 एवं 352 के वन क्षेत्र को उपयोग में लिया जाना है । प्रमाणित किया ˙ जाता है कि अशोक नगर जिले के वन खण्ड, चंदेरी एवं शिवपुरी जिले के वन खण्ड पिछोर में लोअर ओर वृहद् सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व उपरोक्त प्रमाण–पत्र (प्रदूषण संस्था मंडल) से प्राप्त कर व विभाग को उपलब्ध कराया जावेगा । इसके अलावा उक्त के संबंध में भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्ते जारी की जावेगी उनके तहत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण कार्रवाई पूर्ण करने हेतु वचन बद्धता देता है।

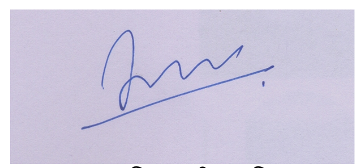

अधिशासी अभियंता
अन्वेषण प्रभाग
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
भोपाल (म.प्र.)

<u>**पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस प्रमाण पत्र**</u>

प्रमाणित किया जाता है कि लोअर ओर वृहद् सिंचाई परियोजना के निर्माण में पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी, चूँकि सिंचाई परियोजना है जिसके अंतर्गत वर्ष भर पानी का भराव रहने के कारण समीपस्थ स्थलों का भू जल स्तर बढेगा। गर्मी के मौसम में जंगली जानवरों एवं पशु पक्षियों को पर्याप्त पानी मिलेगा। पानी होने से वनीकरण अच्छा होगा। क्षेत्र में भी भू जल स्तर बढेगा। पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी। इसके उपरांत भी यदि आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु वचनबद्ध है।

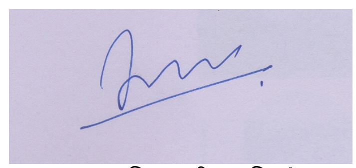

अधिशासी अभियंता
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
भोपाल